उत्तराखण्ड शासन
उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1
संख्या– /XVI(1)/18/5(13)/2015
देहरादूनः दिनांक– 28 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2584/XVI(1)/16/5(13)/2015,दिनांक–21 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत गठित प्रदेशीय मौन परिषद में श्री वीरेन्द्र सिंह सैनी, 70 देवलोक कालौनी, शिमला बाईपास रोड़, जनपद देहरादून को उपाध्यक्ष नामित किया गया। तदोपरान्त मुख्य सचिव(गोपन मंत्रिपरिषद अनुभाग) के पत्र संख्या–207/14/1/9/XXI/2013 T.C,दिनांक–05 अप्रैल, 2017 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक–18 मार्च, 2017 से राज्य में नई सरकार के गठनोपरान्त नियंत्रणाधीन, गठित विभिन्न आयोगों/निगमों/परिषदों इत्यादि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं अन्य पदों पर नियुक्त/नामित गैर सरकारी महानुभावों (संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त महानुभावों को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के दृष्टिगत उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–423/XVI(1)/17/5(13)/2015,दिनांक–10 अप्रैल, 2017 के माध्यम से श्री वीरेन्द्र सिंह सैनी, उपाध्यक्ष को प्रदेशीय मौन परिषद के पदभार से कार्यमुक्त किया गया।

2– उक्त आदेश को श्री वीरेन्द्र सिंह सैनी, नामित उपाध्यक्ष द्वारा रिट याचिका संख्या–एम0एस0/1484/2017 वीरेन्द्र सिंह सैनी बनाम भारत संघ एवं अन्य में योजित की गई, जिसमें मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–24–10–2017 को आदेश पारित किया गया, जिसका कियाशील भाग निम्नवत् हैः–

.....The State has admitted that the term of non official member, which includes Vice President would be for two years, yet no reasons have been assigned in the impugned order as to what was the compelling circumstances for dispensing the term of the petitioner prior to two year. The order impugned on the face of it is patently illegal, and in violation of the principal of natural justice and fair play. Moreover, neither in the counter affidavit nor in the impugned order the reasons have been assigned as to under which compelling circumstances the impugned order has been passed.

In view of the above, writ petition is allowed impugned order dated 10.04.2017 is hereby quashed.

3– अतः इस सम्बन्ध में उक्त योजित रिट याचिका–एम0/एस0. 1485/2017 के सापेक्ष मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–24–10–2017 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या–423/XVI(1)/17/5(13)/2015, दिनांक–10 अप्रैल, 2017 को निरस्त करते हुए पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या–2584/XVI(1)/ 16/5(13)/2015,दिनांक–21 दिसम्बर, 2016 में उद्धरित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अवशेष अवधि हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत गठित प्रदेशीय मौन परिषद में श्री वीरेन्द्र सिंह सैनी, 70 देवलोक कालौनी, शिमला, बाईपास रोड़, देहरादून को उपाध्यक्ष नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

क्रमशः––2

संख्या–1985 /XVI(1)/18/5(13)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2– महालेखाकर उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4– प्रमुख सचिव/सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव/सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सचिव, मा0 उद्यान मंत्री को मा0 उद्यान मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10– गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग को पत्र संख्या–207, दिनांक–05 अप्रैल, 2017 के क्रम में।
11– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत।
12– निदेशक, कृषि, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
13– प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ, ज्योलीकोट, जनपद–नैनीताल।
14– श्री वीरेन्द्र सिंह सैनी, 70 देवलोक कालौनी, शिमला, बाईपास रोड़, देहरादून।
15– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16– गार्ड फाईल।
17– समस्त जिलाधिकारी

आज्ञा से,

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।